न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः— 116/17 (RCMS No.2017/00128) (धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

रामेश्वर पुत्र सांवल्या जाति मीना निवासी मुई तहसील व जिला भरतपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार सवाई माधोपुर
2. प्रभू पुत्र केवरया
3. श्योजी पुत्र गोपी
4. शंकर पुत्र विशन्या
5. केदार पुत्र हजारी
6. जम्बू पुत्र हजारी
7. गीता पुत्री हजारी
8. जमना पुत्री हजारी
9. गन्दोड़ी पुत्री हजारी
10. कन्हैया पुत्र सांवल्या
11. पप्पू पुत्र सांवल्या
12. नर्वदा पत्नि सांवल्या
13. आशाराम पुत्र मडया
14. रामफूल पुत्र मडया
15. कुन्नी पत्नि मडया

जाति मीना निवासी ग्राम मुई तहसील व जिला सवाई माधोपुर

..... रैस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय उप जिला कलक्टर सवाई माधोपुर दिनांक 30.11.2015

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थितिः—

1. श्री श्याम मोहन शर्मा वकील अपीलान्ट
2. राजकीय अभिभाषक

नि र्ण य **दिनांकः—27.09.2018**

यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 30.11.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं

कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम पेश किया कि प्रार्थी/अपीलान्ट व अप्रार्थी सं0 2 लगायत 13 / रैस्पो0 एक ही परिवार के सदस्य हैं व सह खातेदार हैं। विवादित आराजी ख0 नं0 1309 रकवा 16 बीघा 16 विस्वा अपीलान्ट व रैस्पो0 की सह खातेदारी की आराजी है। बन्दोवस्त विभाग ने अलग अलग खसरा नम्बरान बना दिये हैं तथा अपीलान्ट व रैस्पो0 की खातेदारी की 0.54 एयर भूमि को सिवायचक दर्ज कर दिया है। जिसके नये खसरा नम्बर 1324/2839 है। मौके पर पक्षकारान अपने अपने हिस्से पर काबिज है अतः राजस्व रिकार्ड में ख0 नं0 1324/2839 रकवा 0.54 एयर को सिवायचक से हटाकर अपीलान्ट के पिता सांवलया के वारिसान के नाम इद्राज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त की। रिपोर्ट में अंकित किया कि ख0 नं0 1324/2839 रकवा 54 एयर को अपने नाम लगवाना चाहते है। मौके पर अपीलान्ट का कब्जा है। अधीनस्थ न्यायालय ने यह माना कि चाही गयी दादरसी धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत नही आती है। प्रार्थी/अपीलान्ट को धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दावा दायर करें। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इस निर्णय के विरूद्ध यह अपील पेश की गयी है।

विद्वान वकील अपीलान्ट का तर्क कि बन्दोवस्त विभाग ने विवादित आराजीयात के अलग अलग खसरा नम्बरान बना दिये है। अपीलान्ट की 54 एयर भूमि को सिवायचक दर्ज कर दिया है। जबकि अपीलान्ट व उनके पूर्वज उक्त आराजी पर काश्त करते चले आ रहे हैं तथा मौके पर आज भी काबिज हैं। तहसीलदार ने मौके के अनुसार रिपोर्ट पेश की है जिसमें विवादित आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा माना है। उक्त आराजी ख0नं0 1324/2839 रकवा 54 एयर अपीलान्ट के ख0 नं0 1309 से बना है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर गौर नही किया है। भू प्रबन्ध विभाग ने मौके के विपरीत विवादित आराजी को सिवायचक दर्ज कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित नही है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक का तर्क है कि विवादित आराजी अपीलान्ट के खातेदारी की आराजी नही है। अपीलान्ट ने सिवायचक भूमि पर कब्जा कर लिया है। सिवाचचक भूमि पर कब्जा करने से उन्हें खातेदारी नही दी जा सकती है। उनका यह भी तर्क है कि धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत खातेदारी नही दी जा सकती है। उन्हें खातेदारी प्राप्त करने के लिये नियमित दावा दायर कर अनुतोष प्राप्त करना चाहिये। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट का कथन है कि अपीलान्ट व रैस्पो0एक ही परिवार के सदस्य हैं व सह खातेदार हैं। विवादित आराजी ख0 नं0 1309 रकवा 16 बीघा 16 विस्वा अपीलान्ट व रैस्पो0 की सह खातेदारी की आराजी है। बन्दोवस्त विभाग ने अलग अलग खसरा नम्बरान बना दिये हैं तथा अपीलान्ट व रैस्पो0 की खातेदारी की 0.54 एयर भूमि को सिवायचक दर्ज कर दिया है। जिसके नये खसरा नम्बर 1324/2839 है। मौके पर पक्षकारान अपने अपने हिस्से पर काबिज है अतः राजस्व रिकार्ड में ख0 नं0 1324/2839 रकवा 0.54 एयर को सिवायचक से हटाकर अपीलान्ट के पिता सांवलया के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वारिसान के नाम इद्राज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त कर यह माना कि चाही गयी दादरसी धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत नही आती है। अपीलान्ट को धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दावा दायर करें। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलान्ट धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत सिवायचक पर खातेदारी चाहते हैं। जबकि धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत भू अभिलेख अधिकारी किसी लिपिकीय त्रृटि या किसी ऐसी त्रृटि को जिसके लिये पक्षकार सहमत हों, दुरस्त कर सकता है। परन्तु किसी की खातेदारी को निरस्त कर 136 में खातेदारी नही दी जा सकती है। अपीलान्ट को सक्षम न्यायालय में ही दावा दायर कर अनुतोष प्राप्त करना चाहिये। अधीनस्थ न्यायालय ने दावा दायर करने का ही निर्देश दिया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में किसी प्रकार की अवैधानिकता नही है। अपीलान्ट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.11.2015 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.09.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official